

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 6,1941)

कार्यमंत्रणा समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश को सदन द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. वित्तीय कार्य

- (1) वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 को तथा इस अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
- (2) वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के उपस्थापन मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 2020 को मध्यान्ह 12:30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 2020 एवं गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 2020 को होगी।
- (3) शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020 से गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को अपरान्ह 4:00 बजे तक वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।
- (4) शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।
- (5) वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया जो इस प्रकार है :-

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	-	2 घंटे 30 मिनट
(2) श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री	-	2 घंटे 30 मिनट
(3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	-	2 घंटे 30 मिनट
(4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री	-	2 घंटे
(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	-	2 घंटे

(6)	श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री	—	2 घंटे
(7)	श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	—	2 घंटे
(8)	डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री	—	2 घंटे
(9)	श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री	—	2 घंटे
(10)	श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	—	2 घंटे
(11)	श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री	—	2 घंटे
(12)	श्री गुरु रुद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	—	2 घंटे
(13)	श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री	—	2 घंटे

2. विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 पर चर्चा हेतु 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.